भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3131

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-183 के लिए धारा 3ए संबंधी अधिसूचना

3131. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मुंडक्कायम-कुमिली राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-183 के लिए पूर्व में निरस्त हो चुकी धारा 3ए संबंधी अधिसूचना को पुनः प्रकाशित करने हेतु कदम उठाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कुमिली को उक्त परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत कार्यों में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) एनएच-183 के 4 लेन खंड के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें एनएच-183 के किमी 62.10 (चेंगन्नूर टाउन के निकट अंजिलिमुट्टु) से किमी 215.45 (कुमिली) तक मुंडक्कायम-कुमिली खंड शामिल है। भूमि अधिग्रहण का कार्य डीपीआर की तैयारी का एक भाग है और इसे अनुमोदित संरेखण के साथ-साथ किया जाता है। परियोजना की मंजूरी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, जिसमें भूमि की उपलब्धता, यातायात सघनता, संपर्कता की आवश्यकताएं, आर्थिक व्यवहार्यता और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।

*****